न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निवाई, जिला टोंक

पीठासीन अधिकारी :– प्रीति मीणा, (RAS)

प्रार्थना पत्र सं0––381/2024

प्रविष्टि दिनांक––08.08.2024

1. रामफूल पुत्र बजरंगा गुर्जर निवासी चैनपुरा तह0 निवाई जिला टोंक (राज.)
2. कानाराम पुत्र हरिराम गुर्जर निवासी चैनपुरा तह0 निवाई जिला टोंक (राज.)
3. ममता पत्नी हरिराम गुर्जर निवासी चैनपुरा तह0 निवाई जिला टोंक (राज.)
4. रामप्यारी पुत्री बजरंगा गुर्जर निवासी चैनपुरा तह0 निवाई जिला टोंक (राज.)
5. श्योपारी पुत्र बजरंगा गुर्जर निवासी चैनपुरा तह0 निवाई जिला टोंक (राज.)
6. राधा पुत्री बजरंगा गुर्जर निवासी चैनपुरा तह0 निवाई जिला टोंक (राज.)
7. कानी पुत्री बजरंगा गुर्जर निवासी चैनपुरा तह0 निवाई जिला टोंक (राज.)
8. जन्सीलाल पुत्र जगदीश गुर्जर निवासी चैनपुरा तह0 निवाई जिला टोंक (राज.)
9. भंवरलाल पुत्र जगदीश गुर्जर निवासी चैनपुरा तह0 निवाई जिला टोंक (राज.)
10. हरिशंकर पुत्र जगदीश गुर्जर निवासी चैनपुरा तह0 निवाई जिला टोंक (राज.)
11. हंसराज पुत्र जगदीश गुर्जर निवासी चैनपुरा तह0 निवाई जिला टोंक (राज.)
12. मुकेश पुत्र प्रहलाद गुर्जर निवासी चैनपुरा तह0 निवाई जिला टोंक (राज.)
13. राजी पुत्री प्रहलाद गुर्जर निवासी चैनपुरा तह0 निवाई जिला टोंक (राज.)
14. रामा पुत्री प्रहलाद गुर्जर निवासी चैनपुरा तह0 निवाई जिला टोंक (राज.)
15. छोटा पत्नी प्रहलाद गुर्जर निवासी चैनपुरा तह0 निवाई जिला टोंक (राज.)

प्रार्थीगण

1. भंवरलाल पुत्र रामसहाय जाति ब्राहमण निवासी चैनपुरा तह0 निवाई जिला टोंक (राज.)
2. अनिता देवी पत्नी त्रिलोकचन्द जाति महाजन निवासी कस्बा निवाई तह0 निवाई जिला टोंक
3. अशोक कुमार जैन पुत्र कनकचन्द जैन जाति महाजन निवासी कस्बा निवाई तहसील निवाई जिला टोंक राज0
4. तहसीलदार साहब तहसील निवाई जिला–टोंक राज0

– अप्रार्थीगण

उपस्थित– अधिवक्ता श्री रामावतार शर्मा – प्रार्थी
पेरोकार सरकार– तहसीलदार निवाई

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136, भू–राजस्व अधिनियम

दिनांक

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण 1 ता 11 के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 8/6 रकबा 1.2646 एवं खसरा नम्बर 8/8 रकबा 0.2529 हैक्टेयर तथा प्रार्थीगण 7 ता 11 के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 8/7 रकबा 0.1644 हैक्टेयर तथा प्रार्थीगण 12 ता 15 के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 1183/8 रकबा 0.8473 हैक्टेयर वाके ग्राम चैनपुरा तहसील निवाई में स्थित है जिस पर प्रार्थीगण बतौर खातेदार मालिक स्वामी काबिज होकर भूमि को काश्त करते चले आ रहे है। उपरोक्त वर्णित भूमि में प्रार्थीगण 1 ता 7 के पिता स्व0 बजरंगलाल पुत्र बालू को ख0न0 8/1/1 रकबा 5 बीघा भूमि दिनांक 23–11–75 को आवंटन किया गया था तथा ख0न0 8/1/1 में 1 बीघा भूमि दिनांक 2–2–1983 को आवन्टन किया जाकर सुपूर्दगी नामा प्रदान किया गया था जिसमें बाद में 8/1/1 रकबा 5 बीघा के बटा नम्बर परिवर्तन होकर खसरा नम्बर 8/6 रकबा 5 बीघा अर्थात् 1.2646 हैक्टेयर किया गया तथा ख0न0 8/1/1 रकबा 1 बीघा के बटा नम्बर परिवर्तन होकर 8/8 रकबा 1 बीघा अर्थात 0.2529 हैक्टेयर किया गया जाकर राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में अंकित किया गया। प्रार्थीगण के स्व0 पिता बजरंगा को ख0न0 8/1/1 में 5 बीघा आंवटन की जाकर खातेदारी प्रदान की गई तब उक्त खसरा नम्बर को परिवर्तन कर 8/1/3 से ख0न0 8/6 अंकित कर दिया गया तथा ख0न0

उपखण्ड अधिकारी (टोंक)

8/1/1 रकबा 1 बीघा के बटा नम्बर परिवर्तन कर ख0न0 8/1/1/2 अंकित कर दिया जिसको बाद में परिवर्तन कर 8/8 अंकित कर दिया जो हाल जमाबंदी में प्रार्थीगण के नाम बतौर खातेदारी एवं कब्जे काश्त में चली आ रही है। इसी प्रकार प्रार्थीगण संख्या 12 ता 15 के पिता प्रहलाद पुत्र बालू गुर्जर को भूमि खसरा नम्बर 8 में 4 बीघा भूमि दिनांक 26–11–1975 को आवंटन किया जाकर भूमि खसरा नम्बर 8/1/2 रकबा 4 बीघा कर कब्जा प्रदान किया जाकर सुपूर्दगी नामा प्रदान किया गया था जिसके अनुसार प्रार्थीगण भूमि ख0न0 8/1/2 एवं 8/1/1 तथा ख0न0 8/1/1/1/2 पर मौके पर काबिज मालिक होकर भूमि को काश्त कर रहे है। प्रार्थीगण के पिता प्रहलाद के हुये आवंन्टित भूमि ख0न0 8/1/2 को परिवर्तन किया जाकर 8/7 अंकित कर दिया जिसमें से प्रार्थीगण ने 13 बिस्वा प्रार्थीगण संख्या 8 ता 11 को बेचान करने के पश्चात् राजस्व कर्मचारियों ने विना किसी आदेश एवं मनमानीपूर्वक ख0न0 8/7 के दो टुकड़े कर प्रार्थीगण संख्या 8 ता 11 के नाम 8/7 रकबा 0.1644 हैक्टेयर अंकित कर दिया तथा प्रार्थीगण 12 ता 15 के नाम 1183/8 रकबा 0.8473 हैक्टेयर अंकित कर राजस्व शीट में भारी फेरबदल व फर्जकारी पूर्वक अप्रार्थीगण की भूमि 8/3 व 8/4 की तरमीम कर राजस्व शीट को बिगाड़ दिया। प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि आराजी खसरा नम्बर 8/6 रकबा 1.2646 हैक्टेयर, एवं ख0न0 8/8 रकबा 0.2529 हैक्टेयर ख0न0 8/7 रकबा 0.1644 हैक्टेयर तथा ख0न0 1183/8 रकबा 0.8473 हैक्टेयर वाके ग्राम चैनपुरा तहसील निवाई की हाल राजस्व शीट को प्रार्थीगण के पिता को दिया गया सुपूर्दगी नामा, पास बुक के साथ संलग्न नक्शा शीट एंव मौके एवं कब्जे काश्त के मुताबिक हाल शीट से ख0न0 8/3 व 8/4 को हटाया जाकर उसके स्थान पर प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि ख0न0 8/6, 8/8, 8/7 एंव ख0न0 1183/8 की तरमीम की जाकर राजस्व शीट को सही व दुरूस्त किये जाने का आदेश प्रदान किया जावें।

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा साक्ष्य दस्तावेज के रूप जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली है।

इसके पश्चात प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार निवाई से रिपोर्ट प्राप्त, जो शामिल पत्रावली है। तहसीलदार निवाई से प्राप्त रिपोर्ट का सारांशतः इस प्रकार है कि ग्राम चैनपुरा आराजी ख0न0 8/6 रकबा 1.2646 एवं ख0न0 8/8 रकबा 0.2529, ख0न0 8/7 रकबा 0.1644 है0, ख0न0 1183/8 रकबा 0.8473 है0 भूमि प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में है। प्रार्थीगण की आराजियात ख0न0 8/6, 8/8, 8/7, 1183/8 आवंटित भूमि है जिसकी प्रस्तावित तरमीम सुपूर्दगीनामा अनुसार नक्शा ट्रेस में प्रस्तावित की गयी है पूर्व में तीन डिजिट में नम्बर दर्ज है जो वर्तमान जमाबदी में दो डिजिट में हो गये है जो निम्न प्रकार है 8/1/1= 8/6, 8/1/2 नवीन खसरा नम्बर (1183/8, 8/7) 8/1/1/2 नवीन खसरा नम्बर 8/8 हो गये है। आराजियात भूमि का सुपुर्दगीनामा अनुसार तरमीम नक्शा ट्रेस में प्रस्तावित कर दी गई है। आराजी खसरा नम्बर 8/1/2 रकबा 4 बीघा जिसके वर्तमान नवीन ख0न0 1183/8 एंव 8/7 हो गये है। जिसका आवंटन के अनुसार तरमीम प्रस्तावित कर दी गयी है। इस नम्बर के वर्तमान में दो टुकड़े बेचान पत्र से हो गये। वह खसरा नम्बर 1183/8 एंव 8/7 वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। आराजी खसरा नम्बर 8/7 , 1183/8, 8/6 , 8/8 की सुपुर्दगीनामा अनुसार नक्शा ट्रेस में तरमीम प्रस्तावित कर दी गयी है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम में अधिवक्ता प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का दोहरान करते हुये प्रार्थना–पत्र में वर्णित खसरा नं. 8/7, 1183/8, 8/6, 8/8 वाके ग्राम चैनपुरा की तरमीम तहसीलदार निवाई की रिपोर्ट के अनुसार किये जाने का निवेदन किया। पेरोकार सरकार ने तहसीलदार निवाई की रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों का दोहरान करते हुये प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार किये जाने व प्रार्थना–पत्र में वर्णित खसरा नं. 8/7, 1183/8, 8/6, 8/8 वाके ग्राम चैनपुरा की तरमीम सलंग्न नजरी नक्शा, नकल लटठा शीट अनुसार किये जाने की सहमति प्रदान की।

हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया बहस उभयपक्ष पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध तहसीलदार निवाई की रिपोर्ट एवं नक्शा ट्रेस से स्पष्ट है कि ग्राम

उपखण्ड अधिकारी
(टोंक)

चैनपुरा की नक्शा लटठा शीट व डी. आई. एल. आर. एम. पी. शीट में खसरा नं. 8/7, 1183/8, 8/6, 8/8 वाके ग्राम चैनपुरा में भिन्नता है तथा पेरोकार सरकार ने भी दौराने वहस प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया हैं। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत तथ्यों को सही मानते हुए इस्तदुआ स्वीकार की गई। इसलिए न्याय हित व भविष्य में अनावश्यक वादों की वढोतरी को रोकने के लिए इस पर विचार किया जाना उचित है। अतः इकवालिया जवाव, वहस एवं पैरोकार सरकार की रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट स्वीकार करना उचित समझता है।

आदेश

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर एवं तहसीलदार निवाई/पेरोकार सरकार की रिपोर्ट/दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निवाई को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थना–पत्र में वर्णित अराजियात खसरा नम्बर 8/3, 8/4 के स्थान पर 8/6, 8/7, 8/8, 1183/8 की तरमीम रिपोर्ट में संलग्न सुपुर्दगीनामा अनुसार वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर पालना से अवगत करावे।

निर्णय आज दिनांक 23/2/26 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रीति मीणा)
उपखण्ड अधिकारी निवाई